

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 265/2024

अनवान : -

1. रामनिवास पुत्र मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. सरस्वती पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शारदा पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मदनसिंह पति सन्तोष जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 139/66 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1. 4170 है0 भूमि वादीया की माता मृतका सन्तोष पत्नी मदनलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता सन्तोष के नाम दर्ज है। वादी की माता सन्तोष पत्नी मदनलाल का देहान्त हो चुका है। सन्तोष पत्नी मदनलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 4 जो की वादी का पिता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।



अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण सन्तोष पत्नी मदनलाल, वारिसान प्रमाण पत्र बहक आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं० 775 की कुल 6.2980 हैक्ट 2099/6298 वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विद्या देवी के नाम दर्ज है जो की वादीगण की दादी है विद्या देवी पत्नी अमीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का पिता है अपने हिस्से का बेचान पूर्व में कर चुका है तथा मुताबीक पारिवारीक समझौता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है वा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो की वादीगण की मृतक बुआ के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है वा प्रतिवादी संख्या 5 जो की वादीगण की बहिन है वह उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है व अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि में है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसके पश्चात् मुताबीक पारिवारीक समझौता रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 775/775 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.2980 है० भूमि में से 2099/6298 हिस्सा भूमि पर वादीगण 1 ता 2 ब.हि.ब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 139/66 के कुल खसरे 8 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल तादादी 1.4170 है0 भूमि वादीया की माता मृतका सन्तोष पत्नी मदनलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता सन्तोष के नाम दर्ज है। वादी की माता सन्तोष पत्नी मदनलाल का देहान्त हो चुका है। सन्तोष पत्नी मदनलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 4 जो की वादी का पिता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार-किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक सन्तोष पत्नी मदनलाल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बाराणी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 139/66 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.4170 है0 भूमि में मृतका सन्तोष पत्नी मदनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 265/2024

अनवान : -

1. रामनिवास पुत्र मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. सरस्वती पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शारदा पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मदनसिंह पति सन्तोष जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 265 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 139/66 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 1.4170 है0 भूमि में मृतका सन्तोष पत्नी मदनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर